रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 166] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 18, 1982/भाद्र 27, 1904

No. 166] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 18, 1982/BHADRA 27, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं०:37-ईटीसी(पी.एन)/82

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1982

विषय : 1-1-1983 से 31-12-1983 तक संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों, आस्ट्रिया, स्वीडन, फिनलैंड को खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत पोशाकों और सलाई से तैयार किए गए वस्त्रों का निर्यात करने के लिए योजना——————

मिसिल सं० 2/54/82-ई I—यह योजना तैयार पोशाकों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों की कतिपय मदों के संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों (जर्मनी गणतंत्र संघ, फ्रांस, इटली, बेनिलक्स, यू०के०, आयरिश गणतंत्र, डेनमार्क और ग्रीस) आस्ट्रिया, स्वीडन, कनाडा और फिनलैंड को 1 जनवरी, 1983 से 31 दिसम्बर, 1983 तक की अवधि के लिए निर्यातों से संबंधित है।

2. इस सार्वजनिक सूचना में दी गई नीति भारत और संबंधित आयात करने वाले देश के बीच सगत द्विपक्षीय वस्त्र समझौतों के प्रावधानों पर आधारित संशोधनों/प्रवर्धनों के अधीन है। ऐसे समझौते अभी सौदा तय करने/अन्तिम निर्णय लेने के अधीन है। इस नीति की कुछ अन्य विशेषताओं अर्थात नीति का संचालन करने के लिए प्राधिकरण, विभिन्न प्रणालियों के अंतर्गत विभिन्न खंडों (पीएल/एमए ९/एचएल/केटी) में मात्रा का आरक्षण, आबंटन की शर्तें, पोतलदान पूर्व औपचारिकताएं और सीमा-शुल्क निकासी आदि की घोषणा उचित समय के भीतर कर दी जाएगी।

3. आबंटन की प्रणाली और मात्रा

(1) निर्यात के लिए मात्रा प्रत्येक के सामने संकेतित दर पर निम्नलिखित प्रणाली के अनुसार आबंटित की जाएगी :—

प्रणाली	1983 के वार्षिक स्तर का प्रतिशत
(क) भूतकालीन निष्पादन	50
(ख) पहले आए सो पहले पाए लघु आदेश	35
(ग) विनिर्माता/निर्यातक	10
(घ) केन्द्रीय/राज्य निगम	5

(2) यदि सरकार उचित समझे तो उसे द्विपक्षीय समझौते में दी गई उदारता का उपयोग करने का अधिकार होगा।

4 आबंटन वर्ष का विभाजन और अवधियों के बीच मात्रा का आबंटन

(1) भूतकालीन निष्पादन और विनिर्माता/निर्यातक प्रणाली के मामले में निर्यात के लिए मात्रा का आबंटन करने के प्रयोजनार्थ पूरे कैलेन्डर वर्ष की अवधि के रूप में माना जाएगा। केन्द्रीय/राज्य निगम और पहले आए

में पहले पाए लघु आदेशों की प्रणाली के मामले में बुनी हुई मदों के लिए वर्ष कोटा-वार मासिक अवधियों में विभाजित किया जाएगा जैसे जनवरी, अप्रैल, मई-अगस्त, और सितम्बर-दिसम्बर और सलाई से तैयार की गई मदों के लिए दो अवधियों में अर्थात जनवरी अगस्त और सितम्बर-दिसम्बर में विभाजित किया जाएगा। इन दो प्रणालियों में बुनी हुई मदों की मात्रा 50 : 35 : 15 के अनुपात में तीन अवधियों में वितरित की जाएगी जबकि सलाई से तैयार मदों के लिए मात्रा 85 : 15 के अनुपात में दो अवधियों में वितरित की जाएगी।

(2) उपर्युक्त प्रतिशत विदेशी बाजार के रुझान को देखते हुए सरकार द्वारा समय-2 पर पुनः समायोजित किया जा सकता है।

5 भूतकालीन निष्पादन

भूतकालीन निष्पादन हकदारी की परिगणना करने के लिए अभिकरण

(1) प्रत्येक निर्यातक के बारे में भूतकालीन निष्पादन प्रणाली के अन्तर्गत मात्रा की हकदारी की गणना के लिए अभिकरण वस्त्र परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (ए.ई.पी.सी.) होगी। वस्त्र आयुक्त इस संबंध में क्रियाविधि का निर्धारण करेगा और ए.ई.पी.सी. के कार्य का सर्वेक्षण करेगा।

भूतकालीन निष्पादन हकदारी के लिए पात्रता :—(2) केवल वही निर्यातक 1983 के लिए भूतकालीन निष्पादन प्रणाली के अन्तर्गत मात्रा के आबंटन के लिए पात्र होगा यदि उसका 1981 का जनवरी-जून 1982 के दौरान सबद्ध देश/श्रेणी में नियमित निष्पादन है।

आधार अवधि

(3) भूतकालीन निष्पादन हकदारी 1980 और 1981 और जनवरी-जून, 1982 की आधार अवधि के दौरान औसत वार्षिक निर्यातों के आधार पर प्रत्येक देश/श्रेणी समूह के यथानुपात के लिए निश्चय किया जाएगा। भूतकालीन निष्पादन हकदारी का यथानुपात आबंटन संबद्ध देश/श्रेणी में आधार अवधि के दौरान निर्यातक के औसत वार्षिक निर्यात निष्पादन के बराबर अधिकतम उच्चतम सीमा के अधीन होगा। किसी भी व्यक्तिगत निर्यातक की हकदारी में बाद में होने वाले किसी भी परिवर्तन के मामले में यथानुपात मात्रा की सारी प्रक्रिया पूरा करने की दोबारा आवश्यकता नहीं है लेकिन संबंधित निर्यातक की हकदारी में उचित समजन कर दिया जाएगा।

भूतकालीन निष्पादन हकदारी का हस्तान्तरण

(4) भूतकालीन निष्पादन हकदारी वर्ष के दौरान किसी भी समय या तो पूर्ण रूप में या आंशिक रूप में पोशाकों के अन्य पंजीकृत निर्यातक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन हस्तान्तरित किए जा सकते हैं :—

(क) ऐसे हस्तान्तरित हकदारी के मद्दे पोतलदान हस्तान्तरी के निर्यात के रूप में गिने जाएंगे।

(ख) हस्तान्तरी के अधिकार में हस्तान्तरित हकदारी उन्हीं शर्तों के अधीन होगी जो हस्तान्तरण करने वाले के लिए लागू हैं।

(ग) जिस निर्यातक ने अपनी हकदारी एक विशेष देश-श्रेणी में दूसरे निर्यातक को हस्तान्तरित की हो वह उसी देश-श्रेणी में किसी अन्य निर्यातक से भूतकालीन निष्पादन हकदारी का हस्तान्तरण पूर्ण या आंशिक रूप में मांगने के लिए पात्र नहीं होगा।

(घ) जिस निर्यातक ने पूर्ण या आंशिक रूप में विशेष देश/श्रेणी में किसी अन्य निर्यातक से हस्तान्तरण द्वारा हकदारी प्राप्त कर ली है तो वह उसी देश/श्रेणी में अन्य निर्यातक को किसी भी हकदारी का हस्तान्तरण करने के लिए पात्र नहीं होगा।

6 पहले आए सो पहले पाए लघु आदेश पद्धति

इस पद्धति के अन्तर्गत मात्रा का आबंटन पहले आए सो पहले पाए के आधार पर पक्की संविदाओं और साख-पत्रों द्वारा समर्थित आवेदनपत्रों के मद्दे किया जाएगा। साख-पत्र वैध, प्रचलित और अपरिवर्तनीय होना चाहिए। मात्रा का आबंटन केवल लघु आदेशों के लिए किया जाएगा। लघु आदेश वे हैं जो विभिन्न देश-श्रेणी के लिए वस्त्र आयुक्त द्वारा परिमाणात्मक सीमाओं के भीतर नियत किए गए हों। ऐसी परिमाणात्मक सीमाएं उचित समय के भीतर घोषित कर दी जाएंगी। इस पद्धति के अन्तर्गत आबंटन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :—

(1) निर्यातक को 1 जुलाई, 1982 को या इससे पहले परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

(2) एक दिन में एक निर्यातक से एक देश/श्रेणी के लिए केवल एक आवेदनपत्र स्वीकार्य होगा।

(3) इस पद्धति के अन्तर्गत आबंटन 30 दिनों की अवधि के लिए इस शर्त के अधीन होगा कि सभी आबंटनों की वैधता संबद्ध कोटा अवधि से 10 दिनों के बाद समाप्त होगी। अन्तिम अवधि में आबंटन केवल 31 दिसम्बर, 1983 तक वैध होगा।

(4) आबटन पहले आए सो पहले पाए के आधार पर मंजूर किया जाएगा और जिस दिन उपलब्ध मात्रा अतिपूर्वक्रीत हो जाएगी उस दिन पात्रता का निर्णय उच्चतर इकाई मूल्य वसूली के आधार पर किया जाएगा।

(5) भूतकालीन निष्पादन हकदारी वाला निर्यातक संबंधित देश/श्रेणी के लिए पैरा 5(3) के अनुसार यथापरिकलित अपनी भूतकालीन निष्पादन हकदारी का कम से कम 50 प्रतिशत का निर्यात करने के बाद इस पद्धति के अन्तर्गत आवेदन करने के लिए पात्र होगा।

(6) इस कंडिका में उल्लिखित लघु आदेशों की परिमाणात्मक सीमा कंडिका-9 के अनुसार वस्त्र आयुक्त द्वारा घोषित कम मांग वाली मदों के लिए लागू नहीं होगी।

7. विनिर्माता/निर्यातक पद्धति : इस पद्धति के अन्तर्गत विनिर्माता/निर्यातकों को वार्षिक स्तर के 10 प्रतिशत की सीमा तक की मात्रा का आबंटन किया जाएगा। इस पद्धति के अन्तर्गत पात्रता वस्त्र आयुक्त द्वारा निश्चित की जाएगी जिसके लिए वह विस्तृत अनुदेश जारी करेगा।

8 **केन्द्रीय/राज्य निगम पद्धति** केन्द्रीय/राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा नियंत्रित निगमों और केन्द्रीय/राज्य स्तरों की शिखर सहकारी हथकरघा विपणन समितियों के लिए वार्षिक स्तर के अधिकतम 5 प्रतिशत का विशेष आबंटन किया जाएगा। लेकिन यह आबंटन इन निगमों/शिखर समितियों द्वारा केवल सीधे निर्यातों के लिए होगा। निगम शिखर समितियां नीति में निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने पर आबंटन की अन्य पद्धतियों के अंतर्गत मात्रा के आबंटन के लिए भी पात्र होंगी। वस्त्र आयुक्त निगमों/शिखर समितियों की हकदारी निश्चित करेगा।

9 **मन्द गति वाली मदें** मन्द गति वाली मदों की पहचान के लिए 1982 के प्रथम चार महीनों का और 1981 का निष्पादन हिसाब में लिया जाएगा। यदि सदर्भ के अन्तर्गत इस अवधि के दौरान किसी मद का निर्यात 1982 की प्रथम अवधि के लिए या पूर्ण 1981 वर्ष के दौरान निर्धारित कोटे के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हुआ है तो वह मद मन्द गति वाली समझी जाएगी। लेकिन, सरकार का यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि मांग की प्रवृत्ति और वार्षिक स्तर के उपयोग की प्रगति के अनुसार ऐसा न्याय संगत हुआ तो सरकार कोटा वर्ष के दौरान कसौटी में परिवर्तन करेगी।

10. न्यूनतम निर्यात (न्यूनतम) मूल्य

प्रत्येक श्रेणी की पोशाकों के लिए केवल एक ही न्यूनतम मूल्य होगा। बच्चों की पोशाकों के लिए कोई पृथक न्यूनतम मूल्य नहीं होगा। वस्त्र आयुक्त न्यूनतम मूल्य निर्धारित करेगा। उनको निर्धारित करते समय वह उन सभी संबंधित तथ्यों पर ध्यान देंगे। जिसमें यह भी तथ्य शामिल है कि एक विशेष पोशाक को मन्द गति वाली मद के रूप में अभिशासित किया गया है या नहीं।

11. साखपत्र

सभी पोशाकों और सिलाई से बने वस्त्रों के लिए आबंटन साखपत्र आधार पर किया जाएगा। साखपत्र प्रचालित, वैध और अपरिवर्तनीय होने चाहिए। पहले आए सो पहले पाए लघु आदेशों और केन्द्रीय/राज्य निगम पद्धतियों के मामले में साखपत्र आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत करने चाहिए। भूतकालीन निष्पादन और विनिर्माता/निर्यातक पद्धतियों के मामले में साखपत्र पृष्ठांकन प्राप्त करते समय प्रस्तुत करने चाहिएं।

12. निर्यात भारत के किसी भी पत्तन से स्वीकृत किया जाएगा।

13. सरकार को पहले के किसी भी उप-बन्धों का संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है।

14 परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का पता निम्नलिखित अनुसार है.—

परिधान निर्यात संवर्धन परिषद,
सहयोग बिल्डिंग, चौथी मंजिल,
58, नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली-110019.

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक,
आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 37-ETC(PN)/82

New Delhi, the 18th September, 1982

Sub . Scheme for exports under OGL. 3 of Garments and knitwears to USA, EEC Member-States, Austria, Sweden, Finland and Canada from 1-1-1983 to 31-12-1983.

File No. 2/54/82-EI.—This Scheme relates to the exports of certain ready-made garments and knitwear items to USA, EEC Member States (Federal Republic of Germany, France, Italy, Benelux, United Kingdom, Irish Republic, Denmark and Greece), Austria, Sweden, Canada and Finland for the period 1st January, 1983 to 31st December, 1983.

2. The policy indicated in this Public Notice is subject to amendments/amplifications based on the provisions of the relevant Bilateral Textile Agreements between India and the concerned importing countries. Such agreements are currently under negotiation/finalisation. Certain other features of this Policy viz., Agency for Administration of the Policy, Reservation of quantities into various segments (PL/MM/HL/KT) under different systems, terms and conditions of allotment, appeal provisions, pre-shipment formalities and custom clearance, etc. will be announced in due course.

3. Systems and Quantum of Allotment

(i) Quantities for export will be allotted according to the following Systems at rates indicated against each of them:

Systems	Percentage of the Annual level 1983
(a) Past Performance	50
(b) FCFS Small Orders	35
(c) Manufacturer/Exporters	10
(d) Central/State Corporation	5

(ii) The Government reserves the right to use flexibilities provided in the bilateral agreements as considered appropriate.

4. Division of the Allotment Year and Apportionment of Quantities among periods

(i) In the case of Past Performance and Manufacturer/Exporters Systems, the full calendar year will be considered as one period for the purpose of allotment of quantities for export. In the case of Central/State Corporations and FCFS Small Orders Systems, the year will be divided into three four monthly periods, namely, January-April, May-August and September-December, in the case of woven items and into two periods, namely January-August and September—December for knitted items. In these two systems, quantities for woven items will be distributed among the three periods in the ratio of 50 : 35 : 15 whereas the quantities for knitted items will be distributed between the two periods in the ratio of 85 : 15.

(ii) The above percentage may be re-adjusted from time to time by Government depending upon trends in the overseas markets.

5. Past Performance System

Agency for Calculation of Past Performance Entitlement.—(i) The Agency for calculation of the entitlement of quantities under Past Performance System in respect of each exporter will be the Apparels Export Promotion Council (AEPC), New Delhi. Textile Commissioner will lay down procedures in this regard and supervise the work of the AEPC.

Eligibility for Past Performance Entitlement.—(ii) An exporter will only be eligible for allotment of quantities under the Past Performance System for 1983 if he has export performance in the relevant country/category during 1981 or January-June, 1982.

Base period.—(iii) The Past Performance entitlement will be determined for each country/category combination prorata on the basis of average annual exports during the base period of 1980 and 1981 and January-June, 1982. The prorata allotment of Past Performance entitlement will be subject to a maximum ceiling equivalent to the average annual export performance of the exporter during the base period in the

relevant country|category. In the case of any subsequent change in the entitlement of any individual exporter the entire exercise of prorata quantity need not be re-opened but suitable adjustments will be made in the entitlement of the exporters concerned.

Transferability of Past Performance Entitlement.—

(iv) Past Performance Entitlement will be transferable either in full or in part to another registered exporter of garments at any time during the year subject to the following terms and conditions :—

(a) Shipments against such transferred entitlement will be counted as the exports of the transferee.

(b) The transferred entitlement in the hands of the transferee will be subject to the same terms and conditions as those applicable to the transferor.

(c) An exporter who has transferred his entitlement in a particular country|category to another exporter either full or in part, will not be eligible for seeking a transfer of Past Performance entitlement from any other exporter to himself in the same country|category.

(d) An exporter who has obtained entitlement by transfer from any other exporter in a particular country|category, either full or in part, will not be eligible to transfer any entitlement to another exporter in the same country|category.

6. First-come, first-served Small Order System

Under this system, quantities will be allotted on First-come, First-served basis against applications supported by firm contracts and letters of Credit. Letter of Credit should be valid, operative and irrevocable. Allotment of quantities shall be made only for small orders. Small Orders are those which are within the quantitative limits fixed by the Textile Commissioner for different country|category. Such quantitative limits will be announced in due course. The allotment under this system will be subject to the following conditions .

(i) The exporter should be registered with the AEPC on or before 1st July, 1982.

(ii) Only one application will be admissible from one exporter for one country|category on one day;

(iii) Allotment under this system will be valid for a period of 30 days, subject to the condition that validity of all allotments shall expire after 10 days of the concerned quota period. In the last period the allotment will be valid only upto December 31, 1983.

(iv) Allotment will be granted on FCFS basis and, on a day, when available quantities are over-subscribed, the eligibility will be decided on the basis of higher unit price realisation.

(v) An exporter with Past Performance entitlement will be eligible for applying under this system after exporting at least 50 per cent of his Past Performance entitlement for the relevant country|category as worked out according to para 5(iii).

(vi) The quantitative limit of small orders mentioned in this para shall not apply to slow moving items, declared as such by the Textile Commissioner in terms of para 9.

7. Manufacturer|Exporter's System

In this system quantities to the extent of 10 per cent of the annual level will be allotted to Manufacturer|Exporters. The Textile Commissioner will decide on the eligibility for allotments under this system for which he will issue detailed instructions.

For Corporations under the control of the Central| State|Union Territory Governments and Apex Cooperative Handloom Marketing Societies at the Central| State levels, there will be a special allocation not exceeding 5 per cent of the annual level. The allocation will, however, be made only for direct exports by these Corporations|Apex Societies. The Corporations|Apex Societies will also be eligible for allotment of quantities under other systems of allotment subject to fullfilment of conditions laid down in the policy.

8. Central|State Corporations Systems.

The Textile Commissioner will determine the entitlement of the Corporations|Apex societies.

9. Slow-moving Items

For identification of slow moving items, performance during the first four months of 1982 and performance during 1981 will be taken into account. An item could be a termed slow-moving if during the period under reference its exports have not exceeded 60 per cent of the level earmarked for the first period of 1982 or during the entire year 1981. Government, however, reserves the right to change the criteria during the course of the year if warranted by the demand trend and pace of utilisation of annual levels.

10. Minimum Export (Floor) Prices.

There shall be only one floor-price for each category of garments. No separate floor-price will be prescribed for children's garments. The Textile Commissioner will prescribe the floor-prices. In determining them, he will take into account all relevant factors, including the fact whether a particular garment item has been identified as a slow-moving one or not.

11. Letter of Credit.

The allocation for all garments and knitwears will be made on L|C terms. L|Cs should be operative, valid and irrevocable. In the case of FCFS Small Orders and Central|State Corporations systems, L|Cs

should be submitted alongwith the application. In the case of past performance and manufacturer|exporters Systems, L|Cs should be produced at the time of obtaining endorsements.

12. Exports will be allowed from any port in India.

13. Government reserves the right to make amendment to any of the foregoing provisions without giving prior notice.

14. The address of the Apparels Export Promotion Council is as follows :

The Apparels Export Promotion Council,
Sahayog Building, 4th Floor,
58, Nehru Place,
New Delhi-110019

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller,
Imports and Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982

740 GI/82—2